न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
9/2025	26/03/2025	29/8/2025

रामस्वरूप वैष्णव उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री रघुनाथ जाति बैरागी निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0आर0एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 138 खसरा न. 349 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है। जिसमे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रूघनाथ अंकित है तथा इसी प्रकार वाके ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 139 खसरा न. 562 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे मुझ प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। जिसमे प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ अंकित है। यह कि उक्त आराजी खाता संख्या 133 मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रूघनाथ अंकित है व खाता संख्या 139 मे प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ दर्ज है। जबकि वास्तविकता मे प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ है। अब प्रार्थी खाता संख्या 138 व 139 राजस्व रिकोर्ड मे पप्पू पुत्र रूघनाथ व पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ दर्ज करवाना चाहता है। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, अंकित आदि सभी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम रामस्दरूप पुत्र रघुनाथ अंकित है। जो कि सही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावे के प्रार्थी के सयुंक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 138 खसरा न. 349 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रूघनाथ अंकित है व खाता संख्या 139 खसरा न. 562 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ दर्ज के स्थान पर रामस्वरूप वैष्णव पुत्र श्री रघुनाथ नाम राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्त किया जाकर त्रुटि सही करने का आदेश अप्रार्थी को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री विकास पारेता एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। तहसीलदार पीपल्दा की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जवाब सरकार में वाके ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 138 खसरा न. 349 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

का नाम पप्पू पुत्र रघुनाथ जाति बैरागी हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 139 ख0सं0 562 रकबा 1.15है0 किस्म नहरी प्रथम में प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ जाति बैरागी हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कथन है कि उसका वास्तविकता में नाम रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ है राजस्व रिकॉर्ड के अलावा प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि में रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ दर्ज है। पप्पू पुत्र रघुनाथ एवं पप्पू पुत्र रघुनाथ दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है तथा पप्पू का मूल नाम रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 138 खसरा न. 349 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रूघनाथ अंकित है व खाता संख्या 139 खसरा न. 562 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ के स्थान पर रामस्वरूप वैष्णव पुत्र श्री रघुनाथ दर्ज किया जावे। शेष अंकन यथावत रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली बाद तामील तकमीम व तरमीम फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हेमन्त कुमार घनघोर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

धारा .... मुकदमा नं. [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/8/2025	पत्रावली पेश हुई तलबीद पक्ष उप. प्रतिवादी का जवाब पेश किया गया, बहस सुनी गई, पत्रा० में प्रार्थी का नाम शुद्धि का मामला है, प्रार्थी की रिपोर्ट व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रार्थी के नाम शुद्धि का आदेश किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शा० पत्रा० हो। प्रकरण में और कार्यवाही शेष नहीं है, प्रकरण फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर हो। [illegible]